

प्ररूप 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो,
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

03-सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के लिए निर्वाचन।


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री वीरेन्द्र नारायण यादव (नाम) मुहल्ला- महमूद चौक, दहियावाँ, थाना- नगर छपरा, डाकघर-एच0 ओ0 छपरा, जिला-सारण, पिन कोड- 841301 .(पता) जो जनता दल (यूनायटेड) .(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए हैं।

उस सदन में 03-सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य के जो अपनी पदावधि के अवसान पर 08.05.2017 (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं (दिनांक 02.12.2015 को निरहित घोषित), स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान:- छपरा।

तारीख:-17.03.2017



रिटर्निंग आफिसर,

03-सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

-सह-

आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा।